न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल मध्यप्रदेश

(128)

निगरानी-0210/2019/भोपाल/भू.रा.

निगरानी कमांक....................../2019

श्री तुलसीराम परमार, आयु-वयस्क,

आत्मज मोतीलाल परमार,

निवासी-ग्राम बागमुगालिया,

तहसील-हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. गंगा प्रसाद परमार आत्मज स्व. भेरूसिंह परमार,
2. लक्ष्मी नारायण परमार आत्मज स्व. भेरूसिंह परमार,
3. महेश परमार आत्मज स्व. भेरूसिंह परमार,
4. श्रीमती ओमवती बाई पुत्री स्व. भेरूसिंह परमार,

   पत्नी श्री रामचरण परमार,
5. श्रीमती प्रेमबाई परमार पुत्री स्व. भेरूसिंह परमार,

   पत्नी श्री रामसिंह परमार,

   सभी निवासी-ग्राम बागसेवनिया,

   तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, मध्यप्रदेश,
6. सर्वसाधारण ... उत्तरदातागण

अभिभावक श्री .... द्वारा आज दिनांक 28/1/19 को पेश।
अधीक्षक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन है कि:-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

यह कि निगरानीकर्ता सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0 पीठीसन अधिकारी (श्री कवीन्द्र कियावत साहब) भोपाल के राजस्व प्रकरण द्वितीय अपील कमांक 147/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2018 से असंतुष्ट, दुखी व क्षुब्ध होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार ठोष तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है, जिसमें निगरानीकर्ता को सफल होने की पूर्ण आशा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी /2019/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-1-2019	आवेदक की ओर से श्री बी.एल. यादव, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अंतर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष रीडर	